चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री पंकज तिवारी तथा उनकी टीम मुख्य आरक्षी करन, आरक्षी बहोरन सिंह, आरक्षी महेन्द्र राजपूत द्वारा पासी तिराहा कर्वी के पास से अभियुक्त 1.राजा पटेल पुत्र गौरी सिंह निवासी भरतपुरी 2.अजय पटेल पुत्र शिवनारायण पटेल 3. प्रमोद कुमार पटेल पुत्र भोला सिंह निवासीहण सोनेपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 3700/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 1400/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री पवन चौधरी तथा उनके हमराही आरक्षी अमित द्विवेदी द्वारा अभियुक्त सुरिंदी पुत्र बीरन कोल निवासी पवनिया थाना रामनाबाद कटनी जनपद कटनी म0प्र0 को 21 क्वार्टर देशी शराब के गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 जुबैर खां तथा उनके हमराही आरक्षी शिवलाल द्वारा मु0सं0 4840/2023 धारा 323,325,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामसेवक पुत्र कल्लू यादव निवासी ककरहुली पुरवा देऊंधा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकाश कुमार-I द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2022 धारा 302,307,34,201 भादवि0 व 25(9),30 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1.राजेश यादव उर्फ बबुली यादव निवासी भइयालाल यादव निवासी महुलिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. महेश यादव पुत्र नत्थु यादव निवासी गोबरिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 71-71 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 04.05.2022 को वादी नत्थु प्रसाद यादव पुत्र अंगद यादव निवासी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी थी कि इंटवा महुलिया गांव के निवासी हरिश्चंद्र के बेटे शंकर यादव की बारात 03.05.2022 को राजापुर थाना अन्तर्गत नोनागर अतरसुई गांव गई थी। बारात में उनका बेटा रामकरण यादव भी गांव के अन्य लोगों के साथ द्वारचार के लिए कन्या पक्ष के दरवाजे पंहुच गया। नाच गाने के दौरान बाराती पक्ष की ओर से आए राजेश उर्फ बबुली यादव उपरोक्त ने अपनी लाइसेंसी रायफल से और महेश यादव उपरोक्त ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इस हर्ष फायरिंग के दौरान उसका बेटा रामकरन यादव,राम लखन

यादव पुत्र नंदलाल निवासी इटवां महुलिया थाना रैपुरा, राम मिलन यादव पुत्र बच्चा यादव निवासी महुलिया और मुन्ना पाल पुत्र चुप्पा पाल निवासी महुलिया गोलियों की चपेट में आ गए थे। जिसमें मौके पर ही रामकरन यादव की मौत हो गई थी और शेष घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान राम लखन यादव की भी मौत हो गई थी। सूचना के आधार पर राजापुर में मु0अ0सं0 196/2021 धारा मु0अ0सं0 73/2022 धारा 302,307,34,201 भादवि0 बनाम राजेश यादव उर्फ बबुली व महेश यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन वरि0उ0नि0 श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक 25.05.2022 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उनके दोनाली बंदूक व राफल बरामद की थी जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 25(9),30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी थी। विवेचक द्वारा दिनाँक 18.07.2022 को अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल निरीक्षक श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2022 धारा 376,452,323,504.506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त रामरुप पुत्र हरीप्रसाद निवासी ब्योहरा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 10 वर्ष का कठोर कारावास और 06 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 06.11.2022 को थाना सरधुवा में पीड़िता के पिता द्वारा सूचना दी गयी थी कि रामरुप उपरोक्त द्वारा घर में घुसकर उनकी 17 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म कर मारपीट की एवं गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी है। सूचना के आधार पर थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2022 धारा 376,452,323,504.506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम रामरुप उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा की गयी थी एवं दिनाँक 10.11.2022 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दिनाँक 05.01.2023 को आरोपी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0)/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1826/2010 धारा 325.323,34,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.चुनकावन 2.शिवराम पुत्रगण दुलारे 3.राजू पुत्र शिवराम निवासीगण कंठीपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 6500/-6500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(9). आज दिनाँक 2309.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था, अभियोजन एवं महिला अपराधों की विशेष समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने एससी/ एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, आयुध अधिनियम, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, आईपीसी धारा, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य अधिनियम, सम्मन तामिल, गवाहों की उपस्थिति, जमानत, टॉप-10 अपराधों, सड़क सुरक्षा, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी, ओवर लोड वाहनों पर कार्यवाही, अवैध शराब पर प्रतिबंध, गैंगस्टर, वैध ऑटो स्टैंड, गौवंश तस्करी, महिला संबंधित विशेष समीक्षा आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि महिला संबंधी मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्मन तामिला के संबंध में सभी थाना प्रभारीयों को निर्देशित किया कि गवाहों को न्यायालय में भेजते रहें जिससे कि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण होता रहे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को सरकार पेट्रोल का पैसा देती है आप लोग अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे। उन्होंने आर्म्स एक्ट के संबंध में कहा कि शासन का सख्त निर्देश है कि प्राथमिकता के आधार पर गवाहों को बुलाएं।

उन्होंने उपजिलाधिकारियों व पुलिस क्षेत्राधिकारियों एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की टीम गठित करके बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि आर्म्स एक्ट के मामलों पर पुलिस की गवाही सुनिश्चित कराई जाए अगर कहीं पर कोई समस्या हो तो अवगत कराए उसका निस्तारण कराया जाएगा, आप लोगों को जो सूची भेजी गई है उसमें सभी गवाही कराकर प्रत्येक दशा में इसी माह में निस्तारण कराया जाए, सम्मन तामिल समय से कराया जाए।

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी मऊ श्री सौरभ यादव, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिरकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला खान अधिकारी श्री सुधाकर सिंह, जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर मिश्रा सहित थाना प्रभारी व शासकीय अधिवक्तागण मौजूद रहे।

(10). आज दिनाँक-23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में सैनिक सम्मेलन व मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी । सैनिक सम्मेलन में थाना/चौकियों से आये अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्यों को सुनी गयी एवं निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। मीटिंग में उपस्थित सभी क्षेत्राधिकारी,थाना,चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

अपराध गोष्ठी में महोदय द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गयेः-

(i). पुराने लम्बित मुकदमों सहित वर्ष 2024 में पंजीकृत मुकदमों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

(ii) समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी सम्मेलन रजिस्टर प्रत्येक मीटिंग में लायेगें।

(iii). जनता से व्यवहार, बात-चीत सौहार्द पूर्ण,संवेदनशील तथा पीड़ितों से अच्छा व्यवहार करें।

(iv). नामित जनसुनवाई अधिकारी को प्रत्येक दिन जनसुनवाई हेतु बैठायें।

(v). प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समय से निस्तारण करें।

(vi). महिला बीट आवटंन कर महिला आरक्षियों को बीट में भेजकर महिला सम्बन्धित अपराधों में सतर्कता रखें।

(vii) साक्षियों की उपस्थिति नगण्य है, सम्मन तामिल,बीडब्ल्यू,एनबीडब्ल्यू का तामिला शत प्रतिशत करायें।

(viii) आईजीआरएस के प्रार्थना पत्रों में फीडबैक का प्रतिशत बढायें।

(ix). लम्बित मुकदमों को समय से निस्तारण कर सी0एस0/एफ0आर0 समय से दाखिला करायें।
(x).रानीलक्ष्मी बाई आर्थिक सहायता कोष का प्रस्ताव पेण्डिग न रहें।
(xi).चोरी/नकबजनी, एससी/ एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, दहेज अधिनियम, आयुध अधिनियम, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, भा0न्या0 संहिता धारा, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य अधिनियम, सम्मन तामिल, जमानत, एनडीपीएस एक्ट, टाप-10 अपराधी, गुंडा नियंत्रण, सड़क सुरक्षा,अवैध मादक पदार्थो की बिक्री पर पाबंदी की जाए।
(xii). त्यौहारों की तैयारी,मालों का निस्तारण,रेलवे ट्रैक की सुरक्षा,चौकीदारों की बैठक करें।
(xiii).थाना क्षेत्र में घुम रहें डेरे वालों एवं धुमन्तुओं को थाना क्षेत्र से बाहर कर निरोधात्मक कार्यवाही करें।

गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह,क्षेत्राधिकारी यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, स्टेनो पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।